मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

निसार

04 जून, 2007

(डॉ अरिजीत पसायत और डी.के. जैन, न्यायाधिपतिगण)

भारतीय दंड संहिता, 1860:

धारा 302- दोहरी हत्या-परिस्थितिजन्य साक्ष्य-अभियुक्त को उसके न्यायिकेत्तर संस्वीकृति और उसकी निशादेही पर मृत शरीर और हत्या के हथियार की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्ध घोषित किया- कुल्हाडी पर पाये गए रक्त का रक्त समूह सुनिश्चित नहीं हो सका - प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के काफी समय बाद दर्ज की गयी जिसमें उक्त तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था - अभिर्निधारित किया - उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि को सही रूप से अपास्त किया।

प्रत्यर्थी को दोहरी हत्या के लिए अभियोजित किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दो चरवाहे 'के और 'सी शाम को घर नही पहुचे और एक बकरा भी गायब था। तलाशी दल ने एक अन्य गांव में पी.डब्लयू-04 के घर में लापता बकरे का पाया, जिसे रात में वहा

आश्रय लेने वाले आरोपी द्वारा लाया गया था। पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा कें और 'सी की हत्या करना स्वीकार किया। अगली सुबह मृतक 'कें का शव बरामद किया गया और अभियुक्त की निशादेही से मृतक 'सी का शव भी उसी दिन बरामद किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व ठहराया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अभियुक्त ने यह तर्क दिये कि घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं था और कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को कोई आधार नही था तथा बरामद-शुदा कुल्हाडी पर पाया गया रक्त का रक्त समूह सुनिश्चित नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त घोषित किया जिस पर राज्य ने हस्तगत अपील दायर की।

अपील याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः-

1.1. प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित न्यायिकत्तेर संस्वीकृति के काफी समय बाद दर्ज की गई थी। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से दर्शित है कि मृतक 'के' का शव जंगल में खुले रूप में पड़ा था और उसकी लाठी और खुमरी पास में पडे थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा तथाकथित संस्वीकृति का कोई संदर्भ नही था। सूचनाकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह 'प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय पुलिस को इस तथ्य को बताना भूल गया, पूर्णतया असंभव और पूर्ण रूपेण अस्वीकार्य है। यदि वास्तव में कथित की गई कोई संस्वीकृति थी तो वह सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट

में उल्लेखित की जानी चाहिए थी, ना कि यह तथ्य कि अभियुक्त के हमलावर होने का संदेह था। [(पैरा 8)(929-ए-बी)]

1.2. पी.डब्लयू-12 ने स्वीकार किया कि मृतक 'सी' का शव मृतक 'के' के शव से लगभग सौ कदम की दूरी पर पडा हुआ था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर सही गौर किया है कि मृत शव, कुल्हाडी और खुमरी जो आसपास पड़े हुए थे, इनके संबध में तलाशी हेतु किसी इत्तला की आवश्यकता नहीं थी, जबकि मामूली तलाशी पर भी मृत शवों और उक्त वस्तुओं का पता लग सकता था। रासायनिक परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि कुल्हाडी पर मानव रक्त का धब्बा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त रक्त समूह को सुनिश्चित नही किया गया। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था कि उक्त कुल्हाडी का उपयोग दो व्यक्तियों की हत्या के लिए किया गया था।

[(पैरा.8) 929-सी-डी]

1.3. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन की साक्ष्य को कमजोर होने व अभियुक्त की दोषसिद्वि हेतु साक्ष्य अपर्याप्त पाये जाने का निष्कर्ष अत्यन्त न्यायसंगत है, जबकि अभियोजन मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर हो।

[(पैरा.9) 929-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2001 की सिविल अपील संख्या 584।

म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.1999 से, जो कि सी.आर.एल. 1989 का ए. नंबर 206 में पारित किया गया।

अपीलकर्ता की ओर से विजय गोयल, मेरु सागर सामन्त्रेय और वैराग्य वर्धन (सी.डी. सिंह के लिए)

प्रत्यर्थी की ओर से- विजय धर गौड़

डॉ अरिजीत पसायत न्यायाधिपति ने निर्णय पारित किया -

1. इस अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने विचारण न्यायालय के मुकदमा संख्या एसटी1988 की संख्या 44 में अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'संहिता) की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मुकदमें के लिए अभियोजित किया गया था, में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिये गए दोषसिद्धि के फैसले को अपास्त कर दिया गया था और प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः

विचारण मे जो मामला प्रस्तुत किया, यह है कि कंधई और छेरकू शाम को घर नहीं लौटें। सीताराम का एक बकरा भी गायब था। तलाशी दल ने बकरे को ग्राम करहीटोला में बारेलाल (पीडब्लू-4) के घर पर पाया। अभियुक्त निसार ने रात के लिए बारेलाल के घर पर आश्रय लिया था और बकरे को अपने साथ लाया था। पूछताछ करने पर, अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने कंधई की हत्या की है क्योंकि जब वह बकरा ले जा रहा था तो कंधई ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। उसने छेरकू की हत्या की, इस तथ्य को स्वीकार किया था, जिसका शव उसकी निशादेही पर बरामद किया गया था।

3. भैयालाल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी1) कंधई का शव बरामद होने के अगली सुबह दर्ज कराई थी। मृतक छेरकू का शव उसी दिन अभियुक्त निसार द्वारा दौराने अनुसंधान दी गई सूचना के आधार पर बरामद किया गया था। सामान्य तौर पर अनुसंधान किया गया और सामान्य अनुक्रम में अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजित किया गया। विचारण में अभियुक्त को सभी आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया गया।

4. अभियुक्त ने दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिये गयें कि दोषसिद्धि शंका और अनुमानों पर आधारित थी। तथाकथित न्यायिकत्तेर संस्वीकृति का कोई आधार नहीं है। अभियुक्त, जो एक आकस्मिक राहगीर था जिसने रात में

बारेलाल के घर में शरण ली थी, को दो चरवाहों की अंध हत्या के लिए बलि का बकरा बनाया गया था।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने सबूतों के विश्लेषण के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालने के बाद अभियुक्त को अपराधी पाया है।

6. उच्च न्यायालय ने पाया कि घटना को कोई चश्मदीद साक्षी नही था और विचारण न्यायालय द्वारा एक कुल्हाड़ी जो कथित तौर पर बरामद की गयी और न्यायिकत्तेर संस्वीकृति उक्त दो तथ्यों को महत्वपूर्ण माना। उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया कि न्यायिकत्तेर संस्वीकृति का प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई संदर्भ नही था और यद्यपि बरामदशुदा कुल्हाडी पर खून पाया गया बताया गया है, लेकिन रक्त समूह को सुनिश्चित नहीं किया गया। तद्नुसार विचारण न्यायालय के फैसले को अपास्त कर दिया गया और दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया।

7. अपील के समर्थन में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिकत्तेर संस्वीकृति पर सही प्रकार से से भरोसा किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिकत्तेर संस्वीकृति के साक्ष्य मूल्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। चूंकि अभियुक्त की निशादेही से कुल्हाड़ी बरामद की गयी थी इसलिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है।

8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथाकथित न्यायिकत्तेर संस्वीकृति के काफी समय बाद दर्ज की गई थी। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से दर्शित होता है कि कंधई का शव जंगल में खुले रूप में पड़ा था और उसकी लाठी और खुमरी आस-पास में पड़ी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट(प्रदर्श-पी.1) में अभियुक्त कीे तथाकथित न्यायिकत्तेर संस्वीकृति का कोई संदर्भ नहीं था। सूचनाकर्ता भैयालाल का स्पष्टीकरण कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय वह पुलिस को इस तथ्य को बतानो भूल गया, पूर्णतया असंभव और पूर्ण रूपेण अस्वीकार्य है। यदि वास्तव में कोई संस्वीकृति होती, जैसा कि अभिकथित किया गया है तो उसका उल्लेख सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट में होना चाहिए था, ना कि यह तथ्य कि अभियुक्त के हमलावर होने का संदेह था। राघवेंद्र सिंह बघेल, पीडब्लू-12 ने स्वीकार किया था कि छेरकू का शव कंधई के शव से लगभग सौ कदम की दूरी पर पड़ा था। उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर सही गौर किया है कि मृत शव का पता लगाने के लिए किसी इत्तला की आवश्यकता नही थी। कुल्हाड़ी और खुमरी भी आस-पास पड़ी हुई थी और मामूली तलाशी पर भी शव और अन्य सामान का पता लगाया जा सकता था। रासायनिक परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-37 में पाया कि कुल्हाड़ी पर मानव रक्त के दाग थे। फिर भी रक्त समूह को सुनिश्चित नहीं किया गया। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था कि दोनों मृत व्यक्तियों की हत्या के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया था।

9. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए उच्च न्यायालय का अभियोजन की साक्ष्य को कमजोर होने व अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु साक्ष्य अपर्याप्त पाये जाने का निष्कर्ष अत्यन्त न्यायसंगत है, जबकि अभियोजन मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर हो।

10. अतः इस अपील में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है, तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी नीरज कुमार मित्तल (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।